सरकार की पहल व समुदाय को लाभ

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, उत्तर प्रदेश द्वारा अंटाइड फंड की निगरानी

अंटाइड फंड क्या है ?

अंटाइड फंड सरकार की **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के अन्तर्गत समुदाय से लेकर ब्लॉक स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीकरण के लिए एक राशि है। इसके लिए मिशन के तहत हर स्तर पर खर्च की मदें निर्धारित हैं जैसे–

♦ साफ–सफाई, स्वच्छता, ♦ उपकेन्द्रों में पर्दों, नलकों के रखरखाव, बल्ब/ट्यूब लाईट ठीक करना, ♦ रूई, पट्टी इत्यादि में खर्च करना व ♦ आकस्मिक स्थिति में गरीब व्यक्ति के इलाज अथवा रेफरल हेतु यातायात में खर्च करना, आदि

कितने पैसें मिलते हैं ?

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये इसकी राशी विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न है जैसे–

- ♦ ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति – 10,000/–
- ♦ उपस्वास्थ्य केन्द्र (सबसेंटर) – 10,000/–
- ♦ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 50,000/–
- ♦ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– 15,000/–

क्या इसका फायदा जनता को मिल रहा है ?

अंटाइड फंड की जानकारी **महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच** की महिलाओं को पर्चा और प्रशिक्षण द्वारा दिया गया। इसके बाद उन्होने इसपर पूछताछ करना शुरू किया। **महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच** द्वारा उत्तर प्रदेश के पांच ज़िलों में 2008 में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में सरकार द्वारा अंटाइड फण्ड के तहत दी गयी राशि की खर्च के मदों को जानने का प्रयास किया गया। सूचना न मिल पाने पर सूचना के अधिकार के तहत अर्जी भी डाली गयी।

केवल एक जनपद, **कुशीनगर**, में महिलाओं को अंटाइड फंड की जानकारी आसानी से मिल गई। उन्हें सूचना के अधिकार का प्रयोग किये बगैर ही जानकारी प्राप्त हो गयी।

- इसमें हाटा पी.एच.सी. में 2008–2009 के लिए रूपये 50,000 मिले जिसमें से 48,000 खर्च हो गये; जिसे अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत, नये बैड खरीदना, इंवर्टर खरीदना, दो हैण्ड पम्प लगवाना, ऑक्सीजन सिलेण्डर खरीदना आदि मदों में खर्च किया गया है।
- सबसेन्टर (उपस्वास्थ्य केन्द्र) के तहत तीन गांवों में प्राप्त राशि को सबसेन्टर की मरम्मत एवं डिलीवरी के लिए बैड खरीदने में खर्च किया गया है।
- एक गांव में सबसेन्टर नहीं है अतः अंटाइड फंड की राशि से पंचायत भवन में दरवाज़ा लगवाया गया और अब उसे सबसेन्टर के रूप में इस्तेमाल कर वहॉ प्रसव कराये जाते हैं। साथ ही पैट्रोमैक्स खरीदा गया है।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा ''सूचना के अधिकार'' के तहत जानकारी लेते हुए अनुभव

	गोरखपुर	चंदौली
पहली अर्जी	29.12.2008 को एम. ओ. आई. सी. जंगल कौड़िया पी. एच. सी. को डाली गयीः पी.एच. सी. के अन्तर्गत आने वाले सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों की ए.एन.एम के खाते में डाली गयी अंटाइड फंड राशि व किये गये खर्च के मदों की जानकारी मांगी गयी। उन्होनें अर्जी स्वीकार नही की, जिसके पश्चात डी. एम. कर्यालय में अर्जी दी गई।	4.11.2008 को एम. ओ. आई. सी नौगढ़ पी. एच. सी. को दो अलग–अलग महिलाओं ने अर्जी डाली। उप स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले अंटाइड फंड की राशि व खर्च की मदों की जानकारी मांगी गयी। दिनांक 10.11.08 से 5 अलग–अलग महिलाओं द्वारा चिकित्सा प्रभारी को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के तहत आये अनटाइड फण्ड, समिति के सदस्यों के नाम, कुल की गयी बैठकों की संख्या व खर्चें के मदों हेतु अर्जी डाली गयी।
अगली कोशिश	इसकी पहली अपील सी.एम.ओ., गोरखपुर को 9.2.2009 में भेजी गयी।	पहली बार डाली गई 2 अर्जियों को चिकित्सा प्रभारी ने लेने से इन्कार कर दिया। अतः पाँच अर्जियां चिकित्सा प्रभारी को रजिस्ट्री की गयी, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री लेने से भी मना कर दिया। सी. एम. ओ. चंदौली को सूचना देते हुए 24 जनवरी, 2009 को अपील व शिकायत की गयी।
निष्कर्षः	कहीं से भी कोई ज़वाब/ सूचना नहीं प्राप्त हुई।	एम. ओ. आई. सी. द्वारा दिनांक 13.08.09 के जवाब में प्राप्त जानकारी के अनुसार 2008– 2009 में 14 उपकेन्द्रों के लिए 1,40,000 रूपये तथा 27 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा समितियों के लिए 2,70,000 रूपये की प्राप्ति बतायी गयी है।यह राशि पूर्ण रूप से खर्च की जा चुकी है लेकिन किस मद में खर्च की गयी इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है।
	आज़मगढ़	**मिर्जापुर**
पहली अर्जी	2 अलग–अलग महिलाओं, पुरूषों द्वारा दिनांक 9.2.09 तथा 27.2.09 को एम. ओ. आई. सी., अतरौलिया के नाम से अर्जी डाली गयी। 9 अलग–अलग महिलाओं, पुरूषों द्वारा दिनांक 2.6.09 को स्वास्थ्य अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौलिया के नाम से अर्जी डाली गयी।	4 अलग–अलग महिलाओं, पुरूषों द्वारा दिनांक 12.5.09 को उपकेंद्र सरसों एवं गोल्हनपुर, तथा पी. एच. सी. राजगढ़ के अंटाइड फंड के लिए प्राप्त राशि तथा खर्च की गयी मदों पर एम. ओ. आई. सी., राजगढ़ पी. एच. सी. के नाम से अर्जी डाली गयी।
निष्कर्षः	कहीं से भी कोई ज़वाब/सूचना नहीं प्राप्त हुई।	उपकेन्द्र गोल्हनपुर के बारे में जानकारी मिली कि अन्टाईड फन्ड का उपयोग बीमारी अवस्था में लोगों की मदद के लिये किया गया है। उपकेंद्र सरसों के बारे में सूचना के अधिकार की अर्जी के बाद ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया, लेकिन अर्जी देने वालों को काई जवाब नही दिया गया है।

जहाँ पर अंटाइड फंड का सही प्रयोग हुआ है, वहाँ स्थानिय लोगों को फायदा मिला हैः परंतु दूसरे जगहों में इसका प्रयोग क्यों नही स्पष्ट बताया जा रहा था?

आखिर यह पैसा समुदाय को लाभांवित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है; इस अंटाइड फंड को खर्च करते हुए समुदाय की राय लेनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता होना चाहिए।

इसी बीच परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च वहन करना पड़ा ?

6 माह के अन्दर माँ व बच्चे के स्वास्थ्य पर किये गये खर्च का ब्यौरा

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा उपरोक्त पॅाच ज़िलों में 6 माह के अंदर मॉ और बच्चे के स्वास्थ्य पर किये गये घरेलू खर्च पर गॉवों में जानकारी इकट्ठा की गयी। इस अध्ययन में पाँच ज़िलों की कुल 412 महिलाओं से जानकारी प्राप्त हुयी जिनका पिछले 6 माह में प्रसव हुआ अथवा वो गर्भवती थी। **ये गौरतलब है कि इस अध्ययन की सभी महिलायें मज़दूर हैं और अधिकांश महिलाओं की मासिक आय 1000 से लेकर 3000 रूपये तक है।** इसमें 239 दलित, 152 पिछड़ी जाति, 1 सामान्य जाति व 20 मुस्लिम महिलायें शामिल थी। यह सर्वेक्षण अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक 5 जिलों के 8 ब्लॉक के 40 गांवों में किया गया।

ज़िला	सरकारी अस्पताल में हुए प्रसव	कुल महिलायें जिन्हें जे.एस.वाई. का लाभ मिला	कुल महिलायें जिन्हें जे.एस.वाई. का लाभ नहीं मिला	कुल महिलायें जिन्हें जे.एस.वाई लेने के लिए पैसे देने पड़े
आज़मगढ़	65	65	0	1
चन्दौली	35	32	3	–
गोरखपुर	32	29	3	11
कुशीनगर	29	29	0	2
मिर्ज़ापुर	55	49	6	14
कुल	**216**	**204**	**12**	**28**

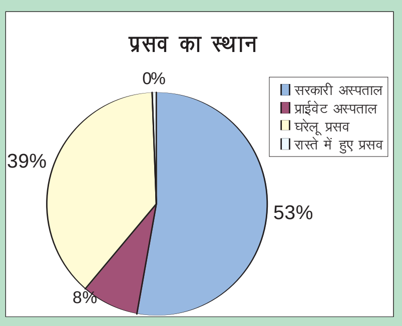

- कुल 412 महिला उत्तरदाताओं में से 216 के प्रसव सरकारी अस्पतालों में हुए, 160 घरेलू प्रसव हुए तथा 35 प्रसव प्राइवेट अस्पतालों में हुए; एक प्रसव अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुआ। यह वह क्षेत्र है जहाँ **महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच** सक्रिय रूप से सूचनाओं का आदान–प्रदान व सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही है। ● कुल 216 सरकारी अस्पतालों में हुए प्रसवों में से 204 महिलाओं को जे. एस. वाई. का लाभ मिला, तथा इनमें से 28 महिलाओं को यह लाभ लेने के लिए अलग से पैसे देने पड़े। ● कुल 216 सरकारी अस्पतालों में प्रसव में देखा गया कि कुल उत्तरदाताओं में से 44 प्रतिशत लोगों को मॉ–बच्चे के स्वास्थ्य में 1000 से 3000 तक रूपये खर्च हुए, जबकि करीब 14 प्रतिशत लोगों को 3000–5000 रूपये खर्च हुए। ● सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वालों में सबसे कम खर्च 50 रु0 तथा सबसे अधिक 44400 रु0 हुआ। 3 लोंगों का कुछ भी खर्च नही हुआ। **आँकड़ो से स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव निःशुल्क नहीं है। चाहे दवाइयों में, यातायात में या सुविधा शुल्क देने में, महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के बराबर या अधिक खर्च करना पडता है।**

- घरेलू प्रसव के दौरान भी लगभग 42 प्रतिशत लोगों को 1000–3000 रूपये तथा करीब 9 प्रतिशत लोगों ने 3000–5000 रूपये खर्च करने पड़े। ● घरेलू प्रसव करने वालों का औसत खर्च 2363 रुपये है जबकि सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वालों का औसत खर्च 2722 रुपये है। ● घरेलू प्रसव करने वालों 160 लोगों में सबसे कम खर्च 100 रु0 तथा सबसे अधिक 21750 रु0 हुआ। 3 लोंगों का कुछ भी खर्च नही हुआ।

उत्तरदाताओं का प्रतिशत

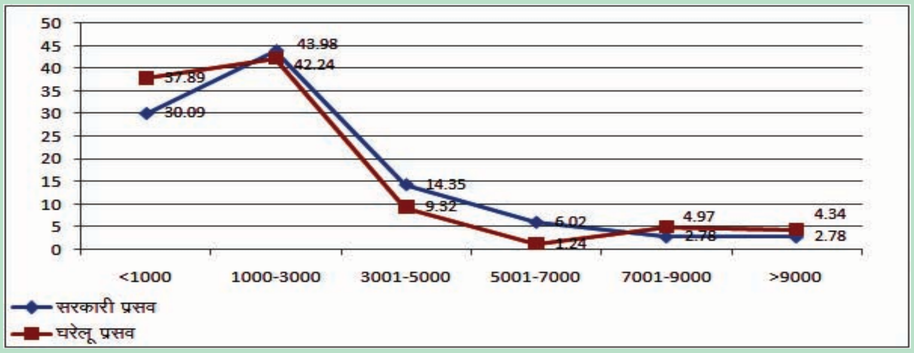

प्रसव उपरान्त होने वाला खर्च प्रतिशत में

- इसमें यह तथ्य निकलकर आया कि बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हुआ। यह देखा गया कि अधिकतर लोग प्रसव के बाद बच्चे के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में गये हैं। **यह तथ्य यह इंगित करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए या तो सुविधायें नहीं हैं, अथवा गुणवत्तापरक नहीं हैं, या फिर लोगों की पहुंच के बाहर हैं।** ● यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि इन ज़िलों की कुछ महिलाओं को अपनी अथवा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 20 हजार से 30 हजार भी खर्च करना पड़ा है जिसमें गोरखपुर की एक दलित महिला ने कुल 31,000 खर्च किया जबकि आज़मगढ़ की एक दलित महिला को 40,000 हज़ार खर्च करना पड़ा।

हमारे सवाल, हमारे सुझाव

उठने वाले कुछ सवाल

- अंटाइड फंड का लाभ समुदाय को बराबर क्यों नही मिल रहा है?
- अंटाइड फंड के खर्च के ब्यौरे की पारदर्शिता क्यों नहीं है?
- क्यों सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत मांगी गयी जानकारी देना अनिवार्य है।
- सरकारी लाभ लेने के लिए भी क्यों महिलाओं तथा उनके परिवारों से अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है?
- मातृ व शिशु स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान केंद्रित होने के बावजूद भी क्यों ग़रीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवायें लेने के लिए हज़ारों रूपये खर्च करने पड़ रहे हैं?
- नवजात शिशु को होने वाले बिमारी के लिए निःशुल्क सेवायें क्यो नही दी जाती हैं ?
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेवा का प्रावधान होने के बावजूद अधिकतर परिवारों को प्राइवेट अस्पतालों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है?

हमारे सुझाव

- ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समितियाँ एवं प्रत्येक स्तर पर रोगी कल्याण समितियों का विधिवत् गठित करके उन्हें नियमित बैठकों द्वारा सक्रीय किया जाए।
- प्रत्येक निर्धारित समीति की बैठक औपचारिक तरीके से करके अंटाइड फंड राशी का खर्च तय किया जाए।
- प्रत्येक समीति इसपर समुदाय एचं गरीब मरीजों से सुझाव मांगे, जिसके लिए सुझाव पंजिका/पेटी उपलब्ध हो।
- अंटाइड फंड का खर्च किन मदों पर हुआ है, इसका ब्यौरा सूचना पट पर प्रकाशित हो।
- गरीब मारीजों को मिलने वाली मदद के प्रावधान को भी स्पष्ट सूचित किया जाए।
- अस्पतालों के बाहर स्पष्ट लिखा जाए कि मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हैं, तथा केंद्रो में उनलब्ध सेवाओं की स्पष्ट सूची प्रदर्शित हो।
- शिकायत दर्ज करने के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर भी साफ–साफ प्रदर्शित हो।

ग्रामीण उत्तर प्रदेश में घरेलू व्यय का जो हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होता है, वह पूरे भारत में सबसे अधिक है! (NCMH, 2005)

स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चो के वजह से ग्रामीण परिवार कर्ज में डूब सकता है।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच निम्नलिखित संस्थाओं के साथ काम कर रही है–

● ग्राम्या संस्थान, चंदौली, ● शिखर प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर, ● ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, आज़मगढ, ● अस्तित्व सामाजिक संस्थान, मुज्जफरनगर, ● बाबा रामकरन दास ग्रामीण विकास समीति, गोरखपुर, ● पी. जी. एस. एस., गोरखपुर, ● आँचल ग्रामीण विकाय सामाजिक संस्थान, सुल्तानपुर, ● असीसी हेल्थ सेंटर, बरेली, ● इब्तेदा संस्थान, चित्रकूट, ● सावित्री बाई फूले दलित महिला संघर्ष मोर्चा, जौनपुर एवं ● तरूण विकाय संस्थान, बांदा

सचिवालय पताः ए– 240, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226016, उत्तर प्रदेश,
दूरभाषः 0522–222310860, 2310747, फैक्सः 0522–2341319, वेबसाइटः www.sahayogindia.org